

क्रमांक : आर.एन.सी. / संस्थापन / 2022

दिनांक :

कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखा गया है कि यात्रा भत्ता एवं परीक्षा आदि से संबंधित बिल, कार्य समाप्ति के पश्चात भी बहुत समय तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, जिससे भुगतान में विलम्ब होता है। अतः समयबद्ध व्यवस्थित रूप से भुगतान के दृष्टिकोण से यह निर्देशित किया जाता है कि यात्रा भत्ता बिल, परीक्षा संबंधित बिल एवं अन्य बिल, यात्रा/कार्य समाप्ति के एक माह की अवधि में कौंसिल में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे। विलम्ब से प्रस्तुतिकरण के कारण भुगतान नहीं होने की स्थिति में भुगतान प्राप्तकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

यह आदेश राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर के सभागार में अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कौंसिल की कार्य व्यवस्थाओं में सुधार के क्रम में आयोजित बैठक दिनांक 22-06-2022 में लिये गये निर्णय एवं सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात् जारी किये जा रहे हैं।

  
(डॉ० शशिकान्त शर्मा)  
रजिस्ट्रार  
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल  
जयपुर

क्रमांक : आर.एन.सी. / संस्थापन / 2022 **57-60**

दिनांक : **29.6.22**

- 1- निजि सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य) एवं पदेन अध्यक्ष, आरएनसी, जयपुर।
- 2- प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय नर्सिंग कॉलेज/जीएनएमटीसी/एएनएमटीसी, राजस्थान।
- 3- नोटिस बोर्ड, आरएनसी, जयपुर।
- 4- निजि सहायक, रजिस्ट्रार, आरएनसी, जयपुर को कौंसिल की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- रक्षित पत्रावली।

  
रजिस्ट्रार  
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल  
जयपुर